न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2007

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 जवाहरमलपुत्र रूपाजी जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी मांडल तहसील रानी		1 केशरीमल पुत्र चुन्नीलाल जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी मांडल 2 ग्राम पंचायत मांडल तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल वर्मा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 23/10/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत मांडल द्वारा मिसल संख्या 08/2009–2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 04.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की। जिस पर प्राथमिक आपत्ति मय निगरानी याचिका पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी व खरीदसुदा मकान गांव मांडल की आबादी भूमि में आया हुआ स्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी पिढीयों से करता आ रहा है। इसका क्षैत्रफल 14 x 94 फुट है। इसमें से 34 x 14 फुट भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी है तथा 3 x 60 फुट पुश्तैनी गली है। इसके अलावा 60 x 11 फुट का मकान प्रार्थी के पिताजी द्वारा मोतीराम से खरीद किया था, जिसकी लिखत दिनांक 09.11.1939 की है। प्रार्थी का उक्त कब्जासुदा मकान पुराना होने से गिर गया है, इस कारण से मौके पर ईटें, केलूपोश आदि पडे है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना 50 साल का कब्जा बताकर धारा 157 के तहत पट्टा जारी करवाया है, जबकि वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 20.01.2006 को अपने पक्ष में लिखाना बताया है एवं उसकी नोटेरी दिनांक 29.01.2007 को एक वर्ष पश्चात करवाई है। उक्त सम्पति न तो वसीयतकर्ता की थी एवं न ही उसको वसीयत करने का अधिकार था, फिर भी बिना अधिकारिता के वसीयत की है एवं उस वसीयत में न तो उक्त पट्टासुदा भूमि का क्षैत्रफल मिलान करता है, न पडौसी मिलान करते है। इसके अतिरिक्त उक्त वसीयत रजिस्टर्ड भी नही है। यदि दस्तावेज रजिस्टर्ड नही होता है, तो उसे सिविल न्यायालय से probate करवाया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को नाजायज लाभ पहुँचाने की नियत से विधि विरूद्ध रूप से

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी की भूमि को सम्मिलित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 के द्वारा अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी किया गया है, उक्त प्रस्ताव में कांट छांट कर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम जोडा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही मिलावटी रूप से एवं आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टा को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी मात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी इस प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नही है, इस कारण प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में धापूदेवी पत्नि भूरालाल ब्राहम्ण का आधिपत्य था, जिसने अपने जीवनकाल में उक्त भूखण्ड जरिये वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि पर पूर्व में मकान निर्मित था, जो कच्चा होने के कारण गिर गया था। इसके पश्चात उक्त भूमि प्लॉट (भूखण्ड) के रूप में होने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.05.2011 को श्यामा पत्नि सवाईसिंह राजपुरोहित को बेचान किया गया है। उक्त बेचान नामा की प्रार्थी को पूर्ण जानकारी है, इसके बावजूद भी प्रार्थी ने क्रेता को पक्षकार नही बनाया है, जबकि अब उक्त भूमि में उसका प्रत्यक्ष हित निहित है। प्रार्थी का कथन है कि धापूदेवी द्वारा जो वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में की है, वह रजिस्टर्ड नही है, जबकि कानूनन वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना आज्ञापक नही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी नही की है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967, आर0आर0डी0 1994 पेज 168, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 787, डी0एन0जे0 (राज.) 2002 (1) पेज 83 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मांडल द्वारा मिसल संख्या 08/2009–2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 04.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी केशरीमल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 26.05.2009 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने नक्शा तैयार किया। इसके पश्चात दिनांक 05.06.2009 को नक्शा प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचो द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें

अति० जिला कलेक्टर, पाली

केशरीमल का पुश्तैनी कब्जा माना। इसके पश्चात दिनांक 06.07.2009 को अस्थाई निर्णय लेते हुए एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने तथा दो गवाहों के बयान लेने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 06.07.2009 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया है। वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे के समर्थन में दो गवाहो के बयान कलमबद्ध किये गये, गवाहों ने अपने बयानात में उक्त भूमि पर केसरीमल का पुश्तैनी मकान निर्मित होना बताया तथा केसरीमल का ही कब्जा होना स्वीकार किया। इसके पश्चात दिनांक 20.08.2009 को नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि उक्त मकान दिनांक 11.02.1963 को चुन्नीलाल, विद्याधर पि0 शंकरलाल द्वारा अपने हिस्से की राशि प्राप्त कर मकान भूरालाल बेचान कर दिया है। उक्त बेचान लिखत एवं जैर निगरानी पट्टे की भूमि में दर्ज पडौस परस्पर मिलान करते है। इसके पश्चात उक्त भूमि अन्तरित होकर धापूदेवी को प्राप्त हुई है, जो धापूदेवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत की गई है। वसीयतनामा नोटेरी से प्रमाणित है। जहां तक वसीयतनामा के रजिस्टर्ड होने का प्रश्न है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत वसीयतनामा का पंजीयन होना आवश्यक नही है। इसके अतिरिक्त वसीयत को सन्दर्भित धारा के तहत परीक्षण करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूमि पर मकान निर्मित न होकर भूखण्ड है, जिसका नियम 157 के तहत पट्टा जारी नही किया जा सकता है। जैसा कि बेचान लिखत दिनांक 11.02.1963 से स्पष्ट हो चुका है कि उक्त भूमि पर मकान निर्मित है, उक्त लिखत को पट्टा जारी करने के समय 46 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर 46 वर्ष पूर्व से मकान निर्मित है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा के जरिये नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा पंचायत मांडल द्वारा मिसल संख्या 08/2009–2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 04.12.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली